**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़**
**पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.**

अपील संख्या 2017/00221 (30/2021) 223 आरटीएक्ट

1. निकू पुत्र स्व0 श्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी 51000 आर.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. कमला पुत्री
3. गुड्डी पुत्री
4. द्रोपदी पुत्री
5. हेतराम पुत्र
6. महावीर पुत्र
7. राजेन्द्र पुत्र
8. सतपाल पुत्र

(2 से 8) स्व0 श्री मंगलाराम जाति मेघवाल निवासी 51000 आर.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. लेखराम पुत्र श्री माडूराम
2. राजूराम पुत्र श्री माडूराम

(1 व 2) जाति मेघवाल निवासीगण 51000 आर.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

3. भूरी पत्नी मोडूराम (पुत्री स्व0 श्री बुधाराम) फौत
   - 3/1 इमीलाल
   - 3/2 पतराम
   - 3/3 चैनाराम
   - 3/4 हेतराम

(3/1 से 3/3) पुत्रगण स्व0 श्री मोडूराम (माता स्व0 श्रीमति भूरी) जाति मेघवाल निवासीगण लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:51:56 IST
Reason: SelfAttested

3/5 पारी देवी (पुत्री स्व0 श्री मोडूराम माता स्व0 श्रीमति भूरी) धर्मपत्नी शंकरूराम जाति 4 मेघवाल निवासी भगवानसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

3/6 पाना देवी (पुत्री स्व0 श्री मोडूराम माता स्व0 श्रीमति भूरी) धर्मपत्नी श्री पप्पूराम जाति मेघवाल निवासी खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

3/7 सुरस्वती (पुत्री स्व0 श्री मोडूराम माता स्व0 श्रीमति भूरी) धर्मपत्नी श्री जगदीश जाति मेघवाल निवासी खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

3/8 सुरेखां (पुत्री स्व0 श्री मोडूराम माता स्व0 श्रीमति भूरी) धर्मपत्नी श्री धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

4. गुड्डी देवी धर्मपत्नी श्री अन्नाराम पुत्री स्व0 श्री माडूराम जाति मेघवाल निवासी लूणकरणसर जिला बीकानेर।
5. सन्तरो धर्मपत्नी श्री रूघाराम (पुत्री स्व0 माडूराम) जाति मेघवाल निवासी मोखमपुरा तहसील लूनकरणसर जिला हनुमागनढ।
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2016 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा प्रकरण संख्या 18/2013 बअनवानी लेखराम आदि बनाम भूरी आदि

श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट-1

श्री चैन सिह शेखावत अपीलाण्ट संख्या 2 से 8

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:51:56 IST
Reason: SelfAttested

श्री औपप्रकाश अरोड़ा अभिभाषक रेस्पो सं0 1 व 2
श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः—

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसमें वादीगण ने अपने नाना बुधराम के नाम चक 3 एसटीबी में 16.774 है0 भूमि में 1/3 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज होना बताया तथा तथा कहा कि बुधराम फौत हो चुके हैं जिसके वारिस प्रतिवादी सं0 1 ता 3 तथा वादीगण संख्या 1, 2 व प्रतिवादीगण संख्या 4, 5 की माता पेमा देवी है चूंकि पेमा देवी फौत हो चुकी है जिसके वारिस वादीगण संख्या 1, 2, व प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 है। बुधराम की पत्नी भी फौत हो चुकी है। इस प्रकार बुधराम की भूमि में उसके चारों वारिसों का ब.हि.ब. का हक व हिस्सा है इस तरह वादीगण की माता पेमा देवी की मृत्यु होने के कारण उसके हिस्से की भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4, 5 हकदार हैं इसलिए वादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा के स्थान पर वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 4, 5 का 1/3 हिस्सा में 1/4 हिस्सा तिाि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 1/3 हिस्सा में 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तथा वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादीगण ने वादपत्र का विरोध करते हुए कथन कियाकि पेमादेवी बुधराम की पुत्री नहीं है। वारिसानामा सक्षम न्यायालय से जारी नहीं किया गया है। वादीगण की माता का कभी भी भूमि पर कब्जा नही रहा। प्रश्नगत भूमि पर हम प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा व कब्जा 40 वर्षों से हें। वादीगण की माता उदी स्वयं के बयान दिनांक 30.06.1975 में उन्होंने अपने कुल चार वारिस बतायें हैं। वादीगण प्रश्गनत भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। अतः वादपत्र खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस उपरान्त वाद वादी अपीलाधीन निर्णय के द्वारा डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्र[illegible] यह कथन किये कि पेमादेवी बुधराम की पुत्री नहीं है बल्कि बुधराम के [illegible] अपीलार्थी, उदी मंगला व भूरी थे। अपीलार्थी की माता [illegible] का स्वर्ग[illegible] हो चुका है। अपीलार्थी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:51:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिसनामा भी प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिसनामा भी प्रस्तुत किया, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वारिसनामा के बिना जो आदेश पारित किया है वह कतई गलत, विधि विरूद्ध होने के कारण का काबिल निरस्ती है। अपीलार्थी के पिता बुधराम का 40 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका था जो कि उस समय ग्राम पंचायत पण्डितांवाली के सरपंच थे, इसके विपरीत प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 5, 6 द्वारा फर्जी वारिसनामा के आधार पर निर्णय पारित किया है जो कतई गलत व विधि विरूद्ध है। विचारण न्यायालय ने प्रत्येक विवादक का पृथक से बिना विवेचन किये निर्णय पारित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर दिनांक 27.12.2016 को हुई। अपील जानकारी से अंदर मियाद है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (5) 1998 पेज 487 एआईआर 1978 पेज 42 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट ने प्रश्नगत वारिसनामा को फर्जी बताया है इस सम्बन्ध में अपीलाट द्वारा यदि सरपंच की मिलीभगत थी तो सरपंच के विरूद्ध एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। यदि एफआई आर दर्ज करवाई तो पुलिस ने उस एफआईआर में क्या माना यह नही बताया है। पेमादेवी बुधराम की पुत्री थी। उसका बुधराम की पुत्री होने के कारण बुधराम की कृषि भूमि में जन्म से हक व हिस्सा है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील मियाद बाहर पेश की है। अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नही बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुंत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है

7. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है अपीलाण्ट का अपील में मुख्य कथन यह है कि पेमा देवी बुधराम की पुत्री नही है बल्कि बुधराम के चार वारिस , उदी, मंगला, निकू व भूरी थे। बुधराम की पुत्री नहीं होने के कारण उसका इस भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। वादीग[illegible] किया है वह सरपंच द्वारा जारी शुदा है, जो किसी सक्षम न्यायालय [illegible] शुदा नहीं है। वादीगण की माता स्वयं उदी ने अपने बया[illegible] 30.06.[illegible] में अपने कुल चार वारिस ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:51:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बताये हैं। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 बुधराम की भूमि में अपनी माता पेमा देवी का हक हिस्सा होने के आधार पर वादपत्र पेश किया है जो विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया है वह विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2016 निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.06.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

3/6/22

(करतार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:51:56 IST
Reason: SelfAttested